

खास-खबरें

चिकित्सा सुविधाओं को मिला विस्तार



नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत ‘कहानी सेवा की’ श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं सागर जिले में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय (बीएमसी) में आधुनिक जांच सुविधाओं, गंभीर बीमारियों के उपचार और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

विगत ढाई वर्षों में आधुनिक जांच सुविधाओं से हजारों मरीज लाभान्वित हुए हैं। सीटी स्कैन से 4,319, एमआरआई से 929 और मैमोग्राफी से 249 मरीज लाभान्वित हुए हैं। फिजियोथेरेपी से ओपीडी के 16,166 और भर्ती 2,355 मरीजों को लाभ मिला है, जबकि सेरेब्रल पाल्सी क्लिनिक से 178 मरीजों को सेवाएं प्रदान की गई हैं। कॉन्जियल ट्रांसप्लांट सुविधा के तहत 18 नेत्रदान और 28 सफल नेत्र प्रत्यारोपण किए गए हैं। स्पीच थेरेपी से 286 मरीजों को 685 सत्रों में उपचार दिया गया है।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 171.93 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर

अस्पताल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। रेडियोथेरेपी विभाग में 734 कैंसर मरीज पंजीकृत होकर उपचार एवं कीमोथेरेपी प्राप्त कर रहे हैं। महिलाओं की जांच के लिए संचालित पंक क्लिनिक में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की 547 जांचों में 103 मामले चिन्हित किए गए तथा 77 मरीजों की सर्जरी की गई। एंडोक्राइन क्लिनिक में 243 थायरराइड और 396 डायबिटीज मरीजों को चिन्हित कर उपचार दिया जा रहा है।

बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में न्युरोसर्जरी विभाग विकसित किया जा रहा है। अस्पताल के तृतीय तल पर मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर सहित 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर हेथ्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

आधुनिक जांच, गंभीर बीमारियों के उपचार और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार से सागर सहित बुंदेलखंड के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार के अधिक अवसर मिल रहे हैं।

हर घर नल से जल की पहुंची अतिरल धारा, खुशहाल ग्रामीण परिवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत ‘कहानी सेवा की’ श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के प्रयासों की। जल जीवन मिशन के तहत समूह जल प्रदाय योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को घर पर ही नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत ढाई वर्षों में जिले के 440 गांवों के 59,977 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। मडिया, बक्सवाहा एवं गढ़ाकोटा समूह जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और वर्तमान में 85 नल-जल योजनाओं को बल्क वॉटर की आपूर्ति की जा रही है।

जिले में पेयजल अधोसंरचना के विस्तार के लिए कुल 1,270.31 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाएं पूर्णता की ओर हैं। इनमें 464.02 करोड़ रुपये की मालथौन समूह जल प्रदाय योजना 94.31 प्रतिशत भौतिक प्रगति के साथ 147 गांवों के 15,962 घरों में पेयजल पहुंचाने के अंतिम चरण में है।

इसी प्रकार, 291.25 करोड़ रुपये की शाहगढ़-बंडा समूह जल प्रदाय योजना 86.92 प्रतिशत प्रगति के साथ 74 गांवों के 8,405 घरों को तथा 515.04 करोड़ रुपये की बीना-खुरई समूह जल प्रदाय योजना 91.01 प्रतिशत प्रगति के साथ 220 गांवों के 30,505 घरों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है।



प्राचीन किले के मां काली मंदिर से शुरू हुई यात्रा, तालाब स्थित माता मंदिर लौटी



नईदुनिया प्रतिनिधि, मालथौन। शारदीय नवरात्र की पंचमी पर गुरुवार को मालथौन में भव्य चुनरी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। दोपहर 3 बजे प्राचीन किले स्थित मां काली मंदिर से ढोल-नगाड़ों और गाजे-बाजे के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा में 124 मीटर लंबी चुनरी आकर्षण का केंद्र रही, जिसे

श्रद्धालु हाथों में थामकर चल रहे थे। यात्रा किले के मां काली मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग, ओवरब्रिज और तालाब रोड होते हुए तालाब स्थित माता मंदिर पहुंची। यहां से वापस प्राचीन किले के मां काली मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। मंदिर में माता रानी को विधि-विधान से चुनरी अर्पित की गई। यात्रा प्रारंभ

होने से पहले मां काली मंदिर में चुनरी का पूजन-अर्चन किया गया।

चुनरी यात्रा में मातृशक्ति सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे मार्ग में श्रद्धालु ‘जय माता दी’ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। ढोल-नगाड़ों की गूंज और भक्तिमय माहौल से पूरा नगर देवीमय नजर आया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर में डाक विभाग द्वारा संचालित आधार केंद्र का शुभारंभ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा सुरखी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने किया। इस केंद्र के शुरू होने से जैसीनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने तथा उसमें आवश्यक सुधार कराने के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसे क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता से जुड़ी सुविधा बताते हुए कहा कि जैसीनगर में आधार कार्ड बनवाने के बाद लोगों को लंबे आधार संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्तर पर कराने का अवसर मिलेगा।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में डाक विभाग के अंतर्गत संचालित पांच उपडाकघर हैं, लेकिन पहले इनमें आधार केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर सागर जाना



पड़ता था। इससे लोगों का समय और आने-जाने का खर्च बढ़ता था। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जैसीनगर में आधार केंद्र की शुरुआत के बाद सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया से राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, सिहोरा सहित अन्य क्षेत्रों में डाक विभाग द्वारा संचालित आधार केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया गया है। इन स्थानों पर केंद्र शुरू होने से क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को अपने नजदीक ही आधार संबंधी सेवाएं मिल सकेंगी।

डाक विभाग के आधार केंद्रों पर नए आधार नामांकन और पहले से बने आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं का लाभ जैसीनगर और

आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकेंगे।

नया आधार कार्ड बनवाने की सुविधा: जिन लोगों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, वे केंद्र पर नया आधार बनवाने के लिए नामांकन करा सकेंगे। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहचान संबंधी जानकारी, जनसांख्यिकीय विवरण और आवश्यक बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज की जाती है। डाकघर में नए आधार नामांकन की सुविधा नि:शुल्क है। कई बार आधार कार्ड

कृषि व घरेलू फीडरों का मेंटेनेंस कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें: कलेक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: आगामी रबी सीजन 2026-27 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती पाल ने रबी सीजन में सिंचाई भार के दृष्टिगत जले/खराब वितरण ट्रांसफॉर्मरों को तय समय-सीमा (शहरी क्षेत्र में 12 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 24-48 घंटे) के भीतर बदलने संभाग एवं उपसंभाग स्तर पर 25 एवं 100 केवी के ट्रांसफॉर्मरों का पर्याप्त बफर स्टॉक सुरक्षित रखा रखने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने रबी सीजन के दौरान कृषि फीडरों पर शासन के निर्देशानुसार 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने, 33/11



बड़्ड उपकेंद्रों पर स्थापित पावर ट्रांसफॉर्मरों की लोडिंग क्षमता की नियमित मॉनिटरिंग, ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मरों पर लोड बैलेंसिंग एवं आवश्यकतानुसार क्षमता वृद्धि का कार्य समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 33 एवं 11 केवी कृषि व घरेलू फीडरों पर लाइन के संपर्क में आने वाली पेड़ों की डालियों को छंटवाई का कार्य 25 अक्टूबर 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने एवं ढीले तारों जंपर, पिन/डिस्क इंसुलेटर एवं अर्थिंग सिस्टम का सघन परीक्षण कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अवांछित ट्रिपिंग एवं फॉल्ट निवारण हेतु बार-बार ट्रिप होने

वाले संवेदनशील फीडरों की तत्काल पेट्रोलिंग कराई जाए तथा फॉल्ट के मूल कारणों का निवारण करने एवं फ्यूज कॉल सेंटरों और ब्रेकडाउन सुधार दल को 24x7 अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए। ताकि रबी सीजन में किसानों को बिजली संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। समीक्षा बैठक में अधीक्षण अभियंता , सागर वृत्त, कार्यपालन अभियंता , सागर संभाग, कार्यपालन अभियंता, शहर संभाग, सागर, कार्यपालन अभियंता , सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता सागर वृत्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा के स्तर में आया गुणात्मक सुधार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत ‘कहानी सेवा की’ श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं सागर जिले में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की। जिले में डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के शासकीय विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 250 विद्यालयों में 475 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे विद्यार्थी डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले 11,172

मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप राशि प्रदान की गई है। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 251 मेधावी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी तथा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 23,759 विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल वितरित की गई हैं। विगत एक वर्ष में जिले के 6 सांदीपनि विद्यालय सर्वसुविधायुक्त नवीन भवनों में स्थापित होकर संचालित हो रहे हैं। शेष 5 सांदीपनि विद्यालयों को भी शीघ्र नवीन भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा, आधुनिक संसाधनों और प्रोत्साहन योजनाओं से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने, बेहतर तैयारी करने का अवसर मिल रहा है।

नशामुक्ति का संदेश लेकर पैदल यात्रा

मालथौन। युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दिनेश मनान पैदल यात्रा कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किन्नर कैलाश से शुरू हुई उनकी इस जागरूकता यात्रा में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वे प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर पैदल चलकर नशे के खिलाफ संदेश दे रहे हैं। गुरुवार को दिनेश मनान मालथौन पहुंच। उन्होंने मॉडल स्कूल एवं शासकीय महाविद्यालय, एस व्ही एन कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। बच्चों और युवाओं को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। युवाओं से नशे से दूर रहने, शिक्षा पर ध्यान देने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने की अपील की।

जल्द प्रारंभ होंगे सुरखी,सीहोरा,राहतगढ़,बिलहरा में आधार केंद्र

घर बैठे गंगाजल की सुविधा प्रारंभ: राजपूत

में नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, पता या अन्य विवरणों में गलती रह जाती है। ऐसी स्थिति में निर्धारित नियमों और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संशोधन का अनुरोध किया जा सकता है। इससे लोगों को छोटी-छोटी गलतियां सुधारने के लिए दूर जाने की जरूरत कम होगी।

मोबाइल नंबर और पते में बदलाव: आधार से जुड़े मोबाइल नंबर, पते और अन्य पात्र विवरणों में संशोधन की सुविधा भी डाक विभाग के आधार केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं में शामिल है। इससे उन लोगों को लाभ मिल सकता है, जिनका मोबाइल नंबर बदल गया है या जो दूसरे स्थान पर रहने लगे हैं। प्रत्येक संशोधन निर्धारित प्रक्रिया और दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

आधार में दर्ज फोटो, अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतलियों से संबंधित बायोमेट्रिक जानकारी को निर्धारित नियमों के अनुसार अपडेट कराया जा सकता है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, प्रवेश और अन्य सरकारी या शैक्षणिक प्रक्रियाओं के दौरान आधार संबंधी जानकारी की आवश्यकता पड़

सड़क, अस्पताल, विद्यालय और महाविद्यालय परियोजनाओं की समीक्षा, लबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में वित्तीय और भौतिक प्रगति का आकलन करते हुए उन्होंने सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। काम में देरी करने वाले ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में बताया गया कि धर्मश्री स्थित मंगल विहार आवासीय योजना के तहत 167 मकानों का निर्माण जारी है। कलेक्टर ने काम में तेजी लाने को कहा। खुरई पुनर्विकास योजना के तहत पशु चिकित्सालय और शासकीय आवास सौंपे जा चुके हैं। तहसील और अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, विश्रामगृह तथा लोक निर्माण विभाग कार्यालय का निर्माण भी पूरा हो चुका है।



राहतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम अंतिम चरण में है। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का 42 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। शेष छठ निर्माण कार्य जून 2027 तक पूरा करने को कहा गया।

ब्लॉक जल स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण में देरी पर कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। सांदीपनि विद्यालय गढ़ाकोटा, शासकीय कक्षा शिक्षा परिसर केसली और आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।

बैठक में सड़क और पुल संबंधी परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। सागर-छतरपुर-कबराई मार्ग और बेरखेड़ी-सुनई तथा बेरखेड़ी-गढ़ाकोटा सड़क का 90 प्रतिशत काम पूरा होने की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण और विवादों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। सभी निर्माण एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना की भू-स्थानांकित तस्वीरों के साथ साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। देरी होने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अवैध प्लॉटिंग पर 12 कॉलोनाइजरों को नोटिस

बीना, रहली, राहतगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई, खसरे में अहस्तांतरणीय दर्ज करने के निर्देश



नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: सागर जिले में बिना सक्षम अनुमति के अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्रवाई की है। कलेक्टर न्यायालय से पारित आदेशों के तहत 12 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित लोगों को अवैध कॉलोनी के चिह्नंकन और निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार अवैध निर्माण हटया जाएगा। साथ ही संबंधित भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के तहत बीना तहसील के इटावा क्षेत्र में पांच मामलों को शामिल किया गया है। इनमें जितेंद्र कुमार, रज्जन, सतीश, प्रीति और राजेंद्र सिंह राजपूत के नाम शामिल हैं। इन मामलों में संबंधित भूमि का रकबा 0.20 हेक्टेयर से 0.92 हेक्टेयर तक है।

रहली तहसील के बमुराजैसिंह गांव में पांच मामलों में कार्रवाई की गई है। इनमें भरत सिंह, राकेश दुबे, गौरव सिंह और कृष्णकुमार ठाकुर,

शैलेन्द्र सिंह ठाकुर तथा महेशकुमार साहू शामिल हैं। इसके अलावा रहलीखास में महादेव साहू और राहतगढ़ के मढ़ा क्षेत्र में मोहम्मद इदरीश तथा मोहम्मद इमदाद के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

मढ़ा क्षेत्र में दोनों संबंधित खसरों का कुल

रकबा 1.6230 हेक्टेयर है। वहीं बमुराजैसिंह में महेशकुमार साहू से संबंधित भूमि का रकबा 2.76 हेक्टेयर दर्ज है।

मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजी जाए। निर्धारित 15 दिन में अवैध कॉलोनी के चिह्नंकन

और निर्माण नहीं हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत निर्माण हटाने, भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज करने और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

 पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank		मंडल कार्यालय : झर्रा तिकुरिया प्रथम मंजिल, आस्था प्लाज़ा, , कटनी – 483501 (म.प्र.) ईमेल – caktinsamd@pnb.bank.in		अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस	
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विध्य नोटिस आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रभारित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को “जो है”, “जहाँ है”, “जो कुछ भी है” के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अंश धनराशि निम्नलिखित है:					
ई-नीलामी दिनांक एवं समय –26.11.2026 सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 25.11.2026					
उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम		अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण		अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बिड वृद्धि राशि द)ई नीलामी दिनांक एवं समय
1. शाखा: बीना (म.प्र.) 1. सुश्री नीता जैन पति दीप चंद जैन, पता : पी.एच. नंबर 21/51, खसरा नंबर-185/35/5, प्रताप वार्ड नंबर-01, कटरा मंदिर के पास, तहसील-बीना, जिला सागर - (उधारकर्ता), 2. श्री सुरेश कुमार अहिरवार पिता कम्मोद प्रसाद अहिरवार, पता: 43, जवाहर वार्ड, बीना जिला सागर (म.प्र.) -470113 - (जमानतदार)		अचल संपत्ति का समस्त भू भाग व अंश पी.एच.नंबर 21/51, खसरा नंबर -185/35/5, प्रताप वार्ड नंबर - 01, कटरा मंदिर के पास, तहसील- बीना, जिला सागर (म.प्र.) में स्थित, क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट, चतुर्सीमा: उत्तर - एच/ओ प्रमोद तिवारी, दक्षिण - रोड, पूर्व - एच/ओ गोपाल यादव, पश्चिम - रोड		अ) 13.10.2025 ब) 23.12.2025 स) Symbolic द) रु.5,05,719.00 + ब्याज एवं अन्य व्यय	अ) 36.00 लाख ब) 3.6 लाख स) 0.25 लाख द) 26.11.2026
संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है					
सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना					
नियम एवं शर्तें: (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। (2) संपत्तियों की विक्री “जो है”, “जहाँ है”, “जो कुछ भी है” के आधार पर होगी। (3) उम्मेद वर्णित संपत्तियों का विक्रय प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी डुटे, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (4) विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। (5) संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट www.pnbindia.in , https://baanknet.com पर विजिट करें।					
स्थान: कटनी, दिनांक 15.10.2026					
पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी					